**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक 1223 /29–1(1) देहरादून दिनांक, 22 अप्रैल, 2017.

# मुखर आदेश (Speaking Order)

रिट याचिका संख्या 2047/एस0एस0/2016 (बुद्धि बल्लभ बनाम मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय नैनाताल द्वारा दिनांक 23.02.2017 को दिये गये निर्णय में, रिट याचिका संख्या 2045/एस0एस0/2016 (धीरेन्द्र प्रसाद जोशी बनाम राज्यादि) तथा अन्य संबंधित 09 रिट याचिकाओं में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा **दिनांक 12.01.2017 को दिये गये निर्णय के अनुसार ही** कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या 2045/एस0एस0/2016 (धीरेन्द्र प्रसाद जोशी बनाम राज्यादि) तथा अन्य संबंधित 09 रिट याचिकाओं में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा **दिनांक 12.01.2017 को दिये गये निर्णय के कम में** इस कार्यालय के पत्रांक 834/29–1(1) दिनांक 24.01.2017 से गठित परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 27 व 28.01.2017 को, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के प्रतिनिधियों (श्री सोहन लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग तथा श्री भरतलाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग) द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया। तत्समय रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये श्री बुद्धि बल्लभ के सम्बन्धित अभिलेखों का भी अवलोकन व परीक्षण किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण व अनुश्रवण तथा परीक्षण समिति की आख्या के अनुसार, **अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र विधिवत संलग्न न किये जाने, वर्तमान समय तक भी प्रस्तुत न किये जाने,** "उ0प्र0 (उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980) (अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002) (संशोधन) नियमावली, 2007" के **नियम 15 (अ) (1 व 2) तथा** उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के पत्रांक 449/1–14(4) दिनांक 14.08.2015 से निर्गत भर्ती सम्बन्धी **विज्ञप्ति के नोट 17 व 11** का उल्लंघन **के कारण उक्त भर्ती प्रक्रिया निरस्त किये जाने योग्य पाते हुए निरस्त किया गया है।** इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के **पत्रांक 885/29–1(1) दिनांक 04.02.2017 से** मुखर आदेश (Speaking Order) निर्गत किया गया है जिसकी प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नैनीताल, उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रेषित की गई है। इस मुखर आदेश (Speaking Order) की प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड की गयी है।

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के पत्रांक 449/1–14(4) दिनांक 14.08.2015 से निर्गत भर्ती सम्बन्धी **विज्ञप्ति के क्रम में भर्ती प्रक्रिया निरस्त किये जाने के कारण अब श्री बुद्धि बल्लभ के प्रकरण पर अलग से कार्यवाही किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः श्री बुद्धि बल्लभ के आवेदन दिनांक 06.04.2017 को अस्वीकृत किया जाता है।**

22.04.2017

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
प्राप्ति सं0 624
पत्रावली सं0 32-1-11
दि0 24/4/017
उत्तराखण्ड–देहरादून

श्री हिमांशु निराला अपलोड करें

DCF (IT&M)

पत्रांक 1223 /29–1(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. वन सरंक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड़, पौड़ी।
5. उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
6. श्री बुद्धि बल्लभ पुत्र स्व0 श्री प्रेम लाल पंत निवासी ग्राम गोदी, पोस्ट घिण्डवाडा, तहसील पौडी जिला पौडी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्रांक 885/29–1(1) दिनांक 04.02.2017 से निर्गत मुखर आदेश (Speaking Order) की प्रति सहित **(स्पीड पोस्ट से)**।
7. उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

22.04.2017

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।